कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1415022 दिनांक 02-6-2014

पत्र सं0-आई0टी0-एन.आई.सी.सॉफटवेयर पत्रा0-2014-15/ 136 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(आई0टी0-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : 02 मई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

यह निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए जा चुके हैं कि डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही Pro rata आधार पर निष्पादित की जाएगी परन्तु इन निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि प्रश्नगत वर्ष में कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के जिन भी वादों में डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी उनको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विभागीय VYAS Central Software में तदनुसार चिन्हित किया जाएगा। इस कार्य के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा VYAS Central Software में लॉग इन करने के पश्चात Return & Assessment लिंक पर उपलब्ध Deemed Assessment of Dealers के सब-लिंक पर क्लिक किया जाएगा।

2- संबंधित कर निर्धारण वर्ष का चयन Drop down से करके Submit करने पर समस्त एक्टिव डीलर्स , जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गयी है , की सूची उपलब्ध हो जाएगी।

3- जिन व्यापारियों का संगत माह में प्रान्तीय / केन्द्रीय अधिनियम तथा प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत डीम्ड कर निर्धारण किया गया है , उसे चयनित करते हुए उनके सम्मुख चेकबाक्स पर टिक करके Submit किया जाएगा।

4- इस प्रकार टिक किए गए प्रकरण डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित हो जायेंगे। इस प्रकार डीम्ड निस्तारित वाद पाक्षिक रूप से विभागीय वेबसाइट पर स्वतः Publish हो जायेंगे।

5- विभागीय वेबसाइट पर Publish होने के उपरान्त उक्तानुसार पारित आदेश संबंधित व्यापारियों द्वारा वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। साथ ही इनके निस्तारण की सूचना भी संबंधित व्यापारी के मोबाइल/ई-मेल पर भी प्रेषित हो जाएगी।

6- विभागीय वेबसाइट पर Publish आदेशों के आधार पर ही संबंधित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत माह में निष्पादित की गयी डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही का मूल्यांकन किया जाएगा।

mi

मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह जोनवार , सम्भागवार तथा खण्डवार Pro rata आधार पर डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाएगा।

7- यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि जोनल एडीशनल कमिश्नर अपनी मासिक बैठक में तथा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अपनी समीक्षा में खण्डवार डीम्ड कर निर्धारण की कार्यवाही की गहराई से अनुश्रवण करेंगे तथा डीम्ड वादों का Pro rata निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे ताकि वर्ष 2012-13 से संबंधित सभी डीम्ड वादों का निस्तारण 31,मार्च 2015 के पूर्व प्रत्येक दशा में हो जाए।

उपर्युक्त व्यवस्था अग्रेतर वर्षों के लिए भी तदनुसार प्रभावी रहेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

ML 28.5.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश